निवाई में बायोमास फैक्टरी में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी

बायोमास पेलेट और बायो-कोल निर्माण का कार्य करती है फैक्टरी

■ आग से फैक्टरी परिसर में खड़ा एक लोडर और कुछ मशीनें जल गई, आगजनी के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई

टोंक, (निसं)। निवाई उपखंड क्षेत्र के दतवास-निवाई एमडीआर सड़क पर दहलोद मोड़ स्थित गुरुकृपा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सोमवार देर रात को भीषण आग लग गई। यह फैक्टरी बायोमास पेलेट और बायो-कोल निर्माण का कार्य करती है, आग लगते ही फैक्टरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई और देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप ले लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्टरी में भारी मात्रा में सरसों की तुड़ी का भंडारण किया गया था, जो ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैल गई, कुछ ही देर में आग ने फैक्टरी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दतवास थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की सूचना पर चार दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए लगातार कई घंटों तक प्रयास किए और मंगलवार सुबह तक आग पर काबू पा लिया।

दतवास थाना प्रभारी हीरालाल ने बताया कि समय रहते दमकल टीम ने आग को नियंत्रित कर लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया, हालांकि आग की चपेट में आकर फैक्टरी परिसर में खड़ा एक लोडर और कुछ मशीनें जल गई। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल सका है। फैक्टरी मालिक विजेंद्र की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन आग से हुए नुकसान का आकलन करने के साथ जांच में जुटे हुए हैं।

जोधपुर में ड्रग फैक्टरी से गिरफ्तार आरोपी रिमाण्ड पर

■ एएनटीएफ ने बालेसर क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी से पकड़े थे आरोपी

■ आरोपियों के खिलाफ 176 किलो एमडी ड्रग्स बरामद होने और टीम पर फायरिंग करने का मामला दर्ज कराया

जोधपुर, (कासं)। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने जोधपुर-जैसलमेर हाईवे के पास बालेसर क्षेत्र में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्टरी से पकड़े गए सभी छह आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पांच दिन के रिमांड पर लिया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस ने बालेसर के एक सुनसान इलाके में बने अधूरे निर्माण के अंदर चल रही एक अवैध फैक्टरी पर छापा मारा था। यह जगह चारों तरफ से इस तरह छिपाई गई थी कि बाहर से किसी को शक तक न हो। यहां बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग तैयार की जा रही थी, जिसे आगे सप्लाई के लिए सुखाया जा रहा था। एएनटीएफ के सीआई देवेंद्रसिंह कविया ने आरोपियों के खिलाफ 176 किलो एमडी ड्रग्स बरामद होने और टीम पर फायरिंग करने का मामला दर्ज कराया है। यह मामला एएनटीएफ के जयपुर कार्यालय में दर्ज किया गया है। एएनटीएफ ने बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना निवासी हापुराम बिश्नोई, नरेंद्र बिश्नोई, नरेश बिश्नोई, सेड़वा भेरोडी निवासी श्रवण बिश्नोई, रोहिला निवासी बुधराम और बालेसर बावरली निवासी अजाराम जाट को गिरफ्तार किया है। सभी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। केमिकल्स गुजरात और महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे, जबकि राजस्थान के बाड़मेर, जालौर, सांचोर और जोधपुर के सुनसान इलाकों में ड्रग्स तैयार की जाती थी। इसके बाद सप्लाई गुजरात के रास्ते महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भेजी जाती थी, वहीं बीकानेर के जरिए उत्तर भारत और पंजाब तक भी इसकी पहुंच थी।

अनूपगढ़ : छात्र सुसाइड मामले में टीचर निलंबित

गत 18 अप्रैल को सरकारी स्कूल के एक छात्र ने घर पर आत्महत्या कर ली थी

■ मृतक छात्र के पिता ने प्रिंसिपल और अध्यापकों पर छात्र को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था

अनूपगढ़, (निसं)। स्टूडेंट के सुसाइड मामले में शिक्षा विभाग ने तीसरे कार्मिकों को भी निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीकरनपुर, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय जांच दल की प्राथमिक जांच के बाद की गई है। घटना 18 अप्रैल 2026 को हुई थी, जब गांव बांडा कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल की छुट्टी के तुरंत बाद अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी। मृतक छात्र के पिता ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में स्कूल प्रिंसिपल और अध्यापकों पर छात्र को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।

इस मामले की जांच शिक्षा विभाग द्वारा भी की जा रही है। प्रारंभिक जांच के बाद, विभाग ने स्कूल के प्रिंसिपल दौलतराज शर्मा और अध्यापक रमनदीप सिंह को पहले ही निलंबित कर दिया था। अनूपगढ़ के सीबीईओ गुरचरण सिंह ने मंगलवार को बताया कि अब अध्यापक गुरदीप सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। गुरदीप सिंह पर आरोप है कि उन्हें मामले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने किसी भी अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी। अध्यापक गुरदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सीबीईओ कार्यालय सादुलशहर रहेगा।

क्रेटा गाड़ी में आये बदमाशों ने कार चुराई

अजमेर, (निसं)। अलवर गेट पुलिस थाना क्षेत्र स्थित दादाबाई कॉलोनी में देर रात कार चोरी की एक घटना सामने आई है। कॉलोनी के नाले के पास खड़ी एक कार को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी कर लिया। यह पूरी वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

कार मालिक सर्वेश जैन ने बताया कि वह हमेशा की तरह अपनी कार नाले के पास खड़ी करते हैं। बीती रात भी उन्होंने अपनी कार वहीं पार्क की थी। सुबह उठकर जब उन्होंने देखा तो उनकी कार मौके से गायब थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि रात करीब 2 से 2.30 बजे के बीच सफेद रंग की एक क्रेटा कार वहां आकर रुकती है। इसमें से एक युवक उतरता है और खड़ी कार का शीशा तोड़ देता है। इसके बाद कार चोरी कर फरार हो जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

20 साल पुराने वक्फ विवाद में फैसला, रिकॉर्ड गड़बड़ी पर कोर्ट सख्त

■ राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर ने अहम फैसला सुनाते हुए प्रशासनिक लापरवाही, रिकॉर्ड प्रबंधन की खामियों और जवाबदेही की कमी को उजागर किया

■ इजाजुद्दीन शाह को आंशिक राहत, राजस्थान सरकार से लेकर स्थानीय प्रशासन तक बने पक्षकार-वक्फ अधिकरण ने रिकॉर्ड सुधार के निर्देश दिए

झुंझुनूं। करीब दो दशक पुराने वक्फ संपत्ति विवाद में राजस्थान वक्फ अधिकरण, जयपुर ने अहम फैसला सुनाते हुए प्रशासनिक लापरवाही, रिकॉर्ड प्रबंधन की खामियों और जवाबदेही की कमी को उजागर कर दिया है। वाद संख्या 60/2004 में वादी इजाजुद्दीन शाह पुत्र फजल नबी, निवासी झुंझुनूं (आयु लगभग 40 वर्ष, राजदानासीन मुतवल्ली) की ओर से दायर मुकदमे में अधिकरण ने आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णय देते हुए संबंधित विभागों को रिकॉर्ड दुरुस्ती और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इस मामले ने यह भी दिखाया कि लंबे समय तक विवाद लंबित रहने के पीछे प्रशासनिक उदासीनता किस तरह बड़ी वजह बनती है।

वादी और प्रतिवादी-पूरा पक्ष स्पष्ट इस महत्वपूर्ण मामले में-वादी: इजाजुद्दीन शाह पुत्र फजल नबी, निवासी झुंझुनूं तथा प्रतिवादीगण: राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव, जयपुर, जिला कलैक्टर, झुंझुनूं, तहसीलदार, तहसील झुंझुनूं, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका झुंझुनूं , मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर , राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर।

सुनवाई में खुली लापरवाही की परतें:- अधिकरण के समक्ष सुनवाई के दौरान जो स्थिति सामने आई, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। प्रतिवादी संख्या 1 (राजस्थान सरकार), 2 (जिला कलैक्टर झुंझुनूं), 3 (तहसीलदार झुंझुनूं) और 5 (वन विभाग) की ओर से कोई भी प्रतिनिधि या अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। इतने अहम मामले में उच्च स्तर के अधिकारियों की गैरहाजिरी ने यह संकेत दिया किया तो मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया या फिर जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति हावी रही।

वहीं-प्रतिवादी संख्या 4 (नगर पालिका) की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवाड़ी प्रतिवादी संख्या 6 (वक्फ बोर्ड) की ओर से अधिवक्ता प्रह्लाद गुप्ता उपस्थित रहे। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमानुल्लाह खान (मुंबई) ने पैरवी की। मामले की सुनवाई अधिकरण सदस्य शमीम अहमद कुरैशी द्वारा की गई।

क्या था विवाद :- मामला वक्फ संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड, कब्जे और प्रविष्टियों में कथित गड़बड़ी से जुड़ा था। वादी इजाजुद्दीन शाह ने अधिकरण में याचिका दायर कर रिकॉर्ड दुरुस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा, बेदखली की मांग की थी। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित रिकॉर्ड में विसंगतियां मौजूद हैं और वर्षों तक इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। यही लापरवाही विवाद के लंबे समय तक खिंचने की प्रमुख वजह बनी।

अधिकरण का आदेश-आंशिक राहत, सख्त निर्देश:- विस्तृत सुनवाई के बाद अधिकरण ने वादी के पक्ष में आंशिक रूप से वाद स्वीकार किया। संबंधित विभागों को रिकॉर्ड सुधार (दुरुस्ती) के निर्देश दिए। वक्फ संपत्ति से जुड़े मामलों में स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में आदेश पारित किया। अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों के मामलों में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी निभानी होगी।

आदेश में मुकदमे से जुड़े खर्चों का भी उल्लेख किया गया है। इससे साफ है कि मामला वर्षों तक लंबित रहने के कारण पक्षकारों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ा। करीब 20 साल तक चले इस विवाद ने यह भी दिखाया कि समय पर कार्रवाई न होने से छोटे विवाद भी बड़े और जटिल बन जाते हैं।

इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब न्यायालय में सुनवाई के दौरान ही जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं होते, तो आम मामलों में जवाबदेही कैसे तय होती होगी?

नवलगढ़ में खेत से गांजे के 7450 हरे पौधे जब्त

गोठड़ा थाना पुलिस ने गांजे के 7450 हरे पौधे जब्त किए

झुंझुनूं/नवलगढ़, (निसं)। झुंझुनूं जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटी-वेनम 2.0 के तहत पुलिस थाना गोठड़ा को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ग्राम ढाका की ढाणी तन भोजनगर में दबिश देकर गांजे (केनबिस) के 7450 हरे पौधे जब्त किए हैं। यदि यह फसल पूरी तरह तैयार हो जाती तो इससे करीब 150 किलोग्राम गांजा तैयार होता।

जानकारी के अनुसार थाना गोठड़ा को मुखबिर से सूचना मिली कि सुभाष पुत्र माधाराम जाट, मामराज पुत्र नौरंगलाल जाट तथा किशोर व रामकुमार पुत्र मूलाराम जाट के खेतों में गांजे के पौधे लगाए हुए हैं। सूचना पर थानाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मीणा पु.नि. के नेतृत्व में पुलिस टीम तत्काल ढाका की ढाणी तन भोजनगर पहुंची। वहां टोंक-छिलरी रोड स्थित खेतों में कटी हुई सरसों की फसल के बीच और मेड़ों पर बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे खड़े मिले।

पुलिस के अनुसार, गांजे के पौधे तीन अलग-अलग खेतों के बीच व मेड़ के पास लगाए गए थे। पौधों पर फूल आ चुके थे और उनकी लंबाई 2-3 फीट से 7-8 फीट तक थी। मौके से 7450 हरे पौधे जब्त किए गए। चारों आरोपी सुभाष, मामराज, किशोर व रामकुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

बयाना जेल में 14 कैदी भूख हड़ताल पर

बयाना/भरतपुर, (निसं)। गंगापुरसिटी जेल से भरतपुर के बयाना उपकारागृह में शिफ्ट किये जाने से खफा 30 कैदियों में से 14 कैदियों द्वारा पिछले चार दिन से किये जा रहे अनशन के बीच मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। बयाना जेल में सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए ये बंदी भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल या किसी अन्य सुविधाजनक कारागार में ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। इस बीच जेल के बाहर कैदियों के परिजनों ने भी डेरा डाल दिया है और बे बंदियों से मिलने की मांग कर रहे है।

जेल सूत्रों के अनुसार भीषण गर्मी के बीच अन्न-जल त्यागने के कारण 9 बंदियों का शुगर लेवल गिर गया और उन्हें चक्कर आने लगे, जिन्हें भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल के जेल वार्ड में रेफर किया गया है, जबकि 5 बंदियों का इलाज जेल के भीतर ही मेडिकल टीम की निगरानी में चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जेल में बंदियों से समझाइश की मगर वे अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बताया गया कि शुरुआत में अनशन करने वाले 30 कैदियों में से 16 ने भोजन शुरू कर दिया था, लेकिन 14 बंदी अब भी अनशन पर डटे हुए हैं। प्रशासन पूरे हालातों पर नजर बनाए हुए हैं।

हॉस्पिटल में परिजन से मिलने आए युवक को चोर समझा

■ चेन चोरी के शक में महिला गार्ड ने युवक को थप्पड़ मारे, मामला चर्चा में

बीकानेर, (निसं)। पीबीएम अस्पताल परिसर में चेन चोरी के शक में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। एक महिला गार्ड ने युवक को चोर समझते हुए उसकी जमकर धुनाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया।

जानकारी के अनुसार, अस्पताल में एक महिला की चेन और फुलड़ा चोरी होने की आशंका जताई गई थी। इसी दौरान वहां मौजूद एक युवक पर शक होने पर महिला गार्ड ने उसे पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया। हालांकि, पुलिस जांच में मामला गलतफहमी का निकला। पीबीएम पुलिस चौकी प्रभारी साहबराम ने बताया कि संबंधित युवक अस्पताल में किसी परिचित से मिलने आया था। महिला ने उसे चोर समझ लिया और इसी गलतफहमी में उसके साथ मारपीट कर दी।

सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र पचार ने बताया कि इस मामले में न तो किसी महिला ने अपनी ज्वैलरी चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है और न ही पिटाई का शिकार हुए युवक ने कोई रिपोर्ट दी है। ऐसे में पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। युवक की पहचान भी सार्वजनिक नहीं की गई है, क्योंकि इस संबंध में कोई औपचारिक शिकायत या मामला दर्ज नहीं हुआ है। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं। बिना पुष्टि किसी को आरोपी मानकर मारपीट करना गंभीर विषय माना जा रहा है।

सचिन पायलट पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन

■ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की

हिंडौन सिटी, (निसं)। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट पर की गई टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को हिंडौन सिटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा राजस्थान के प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका।

देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र मावई एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एजाज अहमद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता चौपड़ सर्किल पर एकत्रित हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताया और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सचिन पायलट न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लोकप्रिय और युवा नेता हैं। उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस अवसर पर पीसीसी महासचिव देशराज मीणा, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र बेनीवाल, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरदो गुर्जर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष जतिन जोरवाल, भगवान सहाय शर्मा, नरेश गुर्जर, गोपेंद्र पावटा, माजिद मलिक सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पाटन में शहीद देशराज सिंह तंवर का सम्मान से अंतिम संस्कार किया

■ जिस दिन परिवार देशराज सिंह का घर आने की राह देख रहा था, उसी दिन पार्थिव शरीर गांव पहुंचा

पाटन, (निसं)। सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र से देश की रक्षा करते हुए भारतीय सेना के ग्रेनेडियर जवान देशराज सिंह तंवर अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए। जिस दिन परिवार उनके घर आने की राह देख रहा था, उसी दिन उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया और हर आंख नम हो उठी।

शहीद देशराज सिंह तंवर को जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि दी।

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे पैतृक गांव के निकट श्मशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ देशराज सिंह तंवर का अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी और तिरंगा उनके पिता को सौंपा गया। चाचा के पुत्र रवि सिंह ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर पाटन थाने लाया गया, जहां से करीब तीन किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकालकर काचरेड़ा गांव पहुंचाया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं ने भाग लिया। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और देशराज सिंह अमर रहे के नारे गूंजते रहे। अंतिम विदाई के दौरान प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों सहित कई गणमान्य लोगों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का कहना है कि देशराज सिंह का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

जानकारी के अनुसार, पाटन के निकट ग्राम काचरेड़ा निवासी देशराज सिंह की तैनाती भारत-चीन सीमा के पास संवेदनशील क्षेत्र में थी। 25 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान भूस्खलन की चपेट में आने से वे वीरगति को प्राप्त हो गए। इस दर्दनाक हादसे में उनके साथ दो अन्य जवान भी शहीद हुए, जबकि एक जवान घायल बताया जा रहा है। देशराज सिंह ने जुलाई 2019 में भारतीय सेना जॉइन की थी। वे 13 जनवरी को छुट्टी पर घर आए थे और 14 फरवरी को पुन: ड्यूटी पर लौट गए थे। 28 अप्रैल को फिर से घर आने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था।

देशराज सिंह का विवाह वर्ष 2023 में हुआ था। उनके परिवार में पत्नी तमन्ना देवी और दो वर्ष की एक मासूम बेटी है। शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

तीन में सूने मकानों से लाखों के जेवर और नकदी पार

अजमेर, (निसं)। शहर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में जेपी नगर सेक्टर नंबर 3, मदार इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी जुटाई।

जानकारी के अनुसार मकान मालिक गोविंद सिंह, जो रेलवे में कार्यरत हैं, अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए ब्यावर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाकर उनके घर का ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर अलमारी व बक्सों को खंगाल डाला। चोर घर से करीब 6 तोला सोना, आधा किलो चांदी और लगभग 3 हजार रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। शादी समारोह से लौटकर 27 अप्रैल को जब गोविंद सिंह अपने घर पहुंचे, तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने घर के अंदर जाकर सामान की जांच की, जहां चोरी की वारदात सामने आई। पीड़ित ने तुरंत अलवर गेट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सिंघाना में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे हटाये

■ जमीन पर कब्जा करने वालों को तीन बार नोटिस जारी किए गए थे

खेतड़ी, (निसं)। सिंघाना क्षेत्र में रेलवे प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की। रेलवे की जमीन पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद ली और कब्जों को ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को सुबह रेलवे अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में हलचल मच गई।

रेलवे ने जेसीबी लगाकर जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त किया।

नारनौल रेलवे के सेक्सन इंजीनियर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सिंघाना में रेलवे की जमीन पर कब्जे कर पक्के निर्माण होने की सूचना रेलवे बोर्ड को मिली थी। जिस पर रेलवे विभाग की ओर से जमीन पर कब्जा करने वालों को तीन बार नोटिस जारी कर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भी अतिक्रमण करने वालों ने रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की बजाय पक्के निर्माण कर लिए। प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय पर पालन नहीं होने पर यह कदम उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार, रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए ढांचे न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि रेल सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि सिंघाना से डाबला तक पहले रेल का संचालन होता था। अब काफी समय पहले संचालन बंद होने के बाद जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। रेलवे की ओर से सिंघाना से डाबला तक पूरी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। रेलवे प्रशासन ने साफ किया कि आगे भी इस तरह के अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा और सरकारी जमीन को मुक्त कराया जाएगा। स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है कि वे रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर जूनियर इंजीनियर श्रवण मीणा, रेलवे पुलिस एएसआई मेवाराम, एचसी सतीश कुमार, सिंघाना थाना एएसआई महेश कुमार, कृष्ण कुमार, विनोद कुमार के अलावा रेलवे व राजस्थान पुलिस का जाब्ता तैनात रहा।